



दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
10/2020	<p>अभिलेख उपस्थापित। आवेदक श्री जमादार उर्फ जमदार हो, पिता-स्व० सोगा देवगम उर्फ सोगा हो, ग्राम-लुपुंगुदू, थाना-मुफ्फसिल, जिला-पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा ने मौजा-लुपुंगुदू, थाना नं०-645, खाता नं०-48, प्लॉट नं०- 1992, कुल रकबा- 0.1 एकड़ भूमि क्रेता प्रमिला बारी, पति- श्री मखन लाल बारी, ग्राम-बारीजोल, थाना-मुफ्फसिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने हेतु अनुमति की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से आम सूचना निर्गत किया गया। <del>वापसी का आदेश है</del></p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। अंचल अधिकारी सदर चाईबासा के पत्रांक 1023 दिनांक 13.10.2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक द्वारा जाँच के समय मांगी गई वांक्षित कागजात उपलब्ध नहीं करायी गई जिसके कारण जाँच किया जाना संभव नहीं हो सका। उन्होंने आवेदन को अस्वीकृत करने हेतू अनुशंसा किया है।</p> <p>अतः संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।</p>	
	<p>लेखापित    भूमि सुधार उपसमाहर्ता  सदर चाईबासा।</p>	<p>  भूमि सुधार उपसमाहर्ता  सदर चाईबासा।</p>